



Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक
College of Agricultural Banking/ कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
Estate Department / संपदा विभाग
Pune/ पुणे

कार्य का नाम	महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में स्थापित एयर कंडीशनरों के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध, अवधि: 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक।																				
निविदा का तरीका	खुला (निविदा यहां स्थित निविदा बॉक्स में जमा की जाएगी/संपदा विभाग, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्वविद्यालय रोड, पुणे - 411016 को संबोधित डाक या कूरियर द्वारा भेजी जाएगी)																				
वह तिथि और समय जिससे एनआईटी (पूर्ण निविदा दस्तावेजों सहित) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी	6 मार्च, 2026 शाम 05:00 बजे से																				
बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	12 मार्च, 2026 को प्रातः 11:00 बजे से एस्टेट विभाग, सीएबी, पुणे में ऑफलाइन																				
कार्य की अनुमानित लागत	₹3,56,000/- प्रति वर्ष																				
बयाना राशि जमा (EMD)	<p>₹7,120/- ईएमडी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से दिए गए विवरण पर वितरित किया जाना चाहिए। उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।</p> <table border="1"><tr><td>Name of the Account Holder (as appearing in the Bank Account)</td><td>College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune</td></tr><tr><td>Account Number</td><td>8614038</td></tr><tr><td>Type of Account (Savings, Current etc.)</td><td>Current</td></tr><tr><td>PAN Number</td><td>AAIFR5286M</td></tr><tr><td>Name of the Bank</td><td>Reserve Bank of India</td></tr><tr><td>Name of the Branch</td><td>CAB, PUNE</td></tr><tr><td>Address of the Bank</td><td>CAB, RBI, University Road, PUNE</td></tr><tr><td>NEFT/IFS Code</td><td>RBIS0PUPA01(0 in the code represents ZERO)</td></tr><tr><td>Name of the Account</td><td>Sundry Deposit A/c-DAD</td></tr><tr><td>GST Number</td><td>27AAIFR5286M1ZG</td></tr></table>	Name of the Account Holder (as appearing in the Bank Account)	College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune	Account Number	8614038	Type of Account (Savings, Current etc.)	Current	PAN Number	AAIFR5286M	Name of the Bank	Reserve Bank of India	Name of the Branch	CAB, PUNE	Address of the Bank	CAB, RBI, University Road, PUNE	NEFT/IFS Code	RBIS0PUPA01(0 in the code represents ZERO)	Name of the Account	Sundry Deposit A/c-DAD	GST Number	27AAIFR5286M1ZG
Name of the Account Holder (as appearing in the Bank Account)	College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune																				
Account Number	8614038																				
Type of Account (Savings, Current etc.)	Current																				
PAN Number	AAIFR5286M																				
Name of the Bank	Reserve Bank of India																				
Name of the Branch	CAB, PUNE																				
Address of the Bank	CAB, RBI, University Road, PUNE																				
NEFT/IFS Code	RBIS0PUPA01(0 in the code represents ZERO)																				
Name of the Account	Sundry Deposit A/c-DAD																				
GST Number	27AAIFR5286M1ZG																				

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	18 मार्च, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक
निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	5% of the contract value
प्रत्येक बिल से कटौती की जाने वाली अवधारण राशि (आरएम)	शून्य
डीएलपी के लिए सुरक्षा जमा	शून्य
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली की बोली शुरू होने की तारीख	14 मार्च, 2026 शाम 05:00 बजे से
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	18 मार्च, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक
भाग-I खोलने की तिथि और समय (अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	18 मार्च, 2026 अपराह्न 03:00 बजे
भाग-II (अर्थात वित्तीय बोली) खोलने की तिथि और समय	निविदा का भाग II (वित्तीय बोली) तकनीकी बोली के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद अगली तारीख को खोला जाएगा और योग्य बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
निविदा की वैधता	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खुलने की तिथि से तीन महीने
लेनदेन शुल्क	शून्य

निविदा दस्तावेज के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति या असंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही आधिकारिक माना जाएगा और सभी मामलों में वही मान्य होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
यूनिवर्सिटी रोड
पुणे - 411016

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे के लिए कोटेशन आमंत्रित करता है
01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के अवधि के लिए महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में स्थापित एयर
कंडीशनर (एसी) के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)

सीलबंद कोटेशन प्राप्त करके बोली लगाई जाएगी। बोली लगाने का विवरण नीचे दिया गया है:

काम का नाम	महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में स्थापित एयर कंडीशनर (एसी) के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)																				
कुल अनुमानित लागत	₹3,56,000/- प्रति वर्ष																				
बयाना जमा राशि*	भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में ईएमडी के रूप में ₹7,120/- की राशि केवल दिए गए विवरण पर एनईएफटी के माध्यम से वितरित की जाएगी: <table border="1"><tr><td>खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिखाई दे रहा है)</td><td>कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे</td></tr><tr><td>खाता संख्या</td><td>8614038</td></tr><tr><td>खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)</td><td>करेंट(चालू)</td></tr><tr><td>पैन नंबर</td><td>AAIFR5286M</td></tr><tr><td>बैंक का नाम</td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक</td></tr><tr><td>शाखा का नाम</td><td>सीएबी, पुणे</td></tr><tr><td>बैंक का पता</td><td>सीएबी, आरबीआई, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे</td></tr><tr><td>एनईएफटी/आईएफएस कोड</td><td>RBIS0PUPA01 (कोड में 0 शून्य दर्शाता है)</td></tr><tr><td>खाते का नाम</td><td>विविध जमा खाता /</td></tr><tr><td>जीएसटी नंबर</td><td>27AAIFR5286M1ZG</td></tr></table>	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिखाई दे रहा है)	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे	खाता संख्या	8614038	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	करेंट(चालू)	पैन नंबर	AAIFR5286M	बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक	शाखा का नाम	सीएबी, पुणे	बैंक का पता	सीएबी, आरबीआई, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे	एनईएफटी/आईएफएस कोड	RBIS0PUPA01 (कोड में 0 शून्य दर्शाता है)	खाते का नाम	विविध जमा खाता /	जीएसटी नंबर	27AAIFR5286M1ZG
खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिखाई दे रहा है)	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे																				
खाता संख्या	8614038																				
खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	करेंट(चालू)																				
पैन नंबर	AAIFR5286M																				
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक																				
शाखा का नाम	सीएबी, पुणे																				
बैंक का पता	सीएबी, आरबीआई, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे																				
एनईएफटी/आईएफएस कोड	RBIS0PUPA01 (कोड में 0 शून्य दर्शाता है)																				
खाते का नाम	विविध जमा खाता /																				
जीएसटी नंबर	27AAIFR5286M1ZG																				

*उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो। छूट का लाभ उठाने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने भाग-। दस्तावेजों में अपनी फर्म की एमएसई स्थिति को दर्शाने वाला नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

प्री-बिड मीटिंग	12 मार्च, 2026 को प्रातः 11:00 बजे (ऑफलाइन) स्थान: संपदा विभाग, आरबीआई, सीएबी, पुणे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख	18 मार्च, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक
कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि	18 मार्च, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक
भाग-I का खोलना	18 मार्च, 2026 को दोपहर 03:00 बजे
भाग-II का खोलना	निविदा का भाग II (मूल्य बोली) भाग I (तकनीकी-बोली) के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद बाद की तारीख को खोला जाएगा और इसे योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
उद्धरण की वैधता	तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिन का समय।
इस निविदा के संबंध में पत्राचार के लिए व्यक्तियों से संपर्क करें	<p>i) श्री विश्वनाथ डे, एजीएम फोन: 022-25582378 मोबाइल: 9463952113 ईमेल: bdey@rbi.org.in</p> <p>ii) श्रीमती जिशा नारायणन, प्रबंधक फोन: 022-25582329 मोबाइल: 9048964023 ईमेल: jishanarayanan@rbi.org.in</p> <p>iii) श्री शुभम पिसाल, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) फोन: 022-25582374 मोबाइल: 7620674626 ईमेल: shubhampisal@rbi.org.in</p>

भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी नियम और शर्तों में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी बोलीदाता के पास अपनी बोली की अस्वीकृति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विरुद्ध कार्रवाई या दावा करने का कोई कारण नहीं होगा।

मुमप्र और प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
यूनिवर्सिटी रोड
पुणे - 411016



भारतीय रिज़र्व बैंक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
यूनिवर्सिटी रोड
पुणे - 411016

व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) के लिए
महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं।

भाग-1/तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

जमा करने की अंतिम तारीख - 18 मार्च, 2026 को दोपहर 2:00 बजे तक

भाग 1 के खोलने की तारीख - 18 मार्च, 2026 को दोपहर 3:00 बजे

बोलीदाता का नाम: _____

मोबाइल नंबर: _____

पता: _____

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण	पेज नं.
भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)		5-26
1	अनुभाग-I: वाणिज्यिक स्थितियाँ और पात्रता मानदंड	5-10
2	खंड-II: अनुबंध की विशेष शर्त	11
3	खंड-III: कार्य-वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) का दायरा	12-15
4	खंड-IV: फर्म का विवरण	16
5	अनुलग्नक - I	17-18
6	अनुलग्नक - II	19-20
7	अनुलग्नक - III	21-22
8	अनुसूची ए: सुरक्षा कोड	23-25
9	अनुसूची बी: अग्नि सुरक्षा कोड	26
भाग-II (मूल्य बोली)		27-28
10	वित्तीय बोली/मात्रा का बिल	28

भारतीय रिज़र्व बैंक

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
संपदा विभाग
पुणे 411 016

भाग-I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

खंड I: वाणिज्यिक स्थितियाँ

- 1.1 कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे पात्र एसी आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं से दो भागों (भाग-I और भाग-II) में महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में स्थापित एयर कंडीशनरों के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के लिए कोटेशन आमंत्रित करता है। इस कार्य की अनुमानित लागत ₹3,56,000 रुपये है।
- भाग I में तकनीकी वाणिज्यिक बोली (खंड I से IV और अनुलग्नक I) शामिल है। भाग-II में वित्तीय बोली शामिल है। कोटेशन या तो डाक के माध्यम से/ हैंड डिलिवरी द्वारा "प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, परिसर अनुभाग, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे -411016 पते पर प्रेषित किए जाएं "ताकि 18 मार्च, 2026 को दोपहर 2:00 बजे से पहले हम तक पहुंचें।
- भाग I (तकनीकी-बोली) उसी दिन शाम 03:00 बजे खोला जाएगा। निविदा का भाग II (मूल्य बोली) भाग I के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद बाद की तारीख को खोला जाएगा और इसे योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
- भाग I, भाग II और ईएमडी भुगतान प्रमाण तीन अलग-अलग लिफाफे में होंगे और ये तीन लिफाफे (भाग I, भाग II और ईएमडी प्रमाण) दूसरे लिफाफे में रखे जाएंगे। सभी लिफाफों पर "भाग I/भाग II/EMD प्रमाण (शीर्ष पर कार्य का नाम/AMC के साथ) जैसा लागू हो, अंकित किया जाएगा। सभी कवर में बोलीदाता का नाम और पता भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
- कृपया ध्यान दें कि तकनीकी बोली में कीमतों का संकेत नहीं दिया जाना चाहिए। यदि एकल सीलबंद कवर खोलने पर, यह पता चलता है कि तकनीकी बोली और मूल्य बोली को अलग-अलग कवर में नहीं रखा गया है, तो बोली अस्वीकृत की जाएगी।

1.2	<p>पात्रता मानदंड: इच्छुक बोलीदाता को एक अधिकृत एसी आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता होना चाहिए और 31 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष को शामिल करते हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान एसी कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करना चाहिए</p> <p>(ए) तीन कार्य प्रत्येक की अनुमानित लागत 40% के बराबर राशि से कम नहीं हो। या (ख) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी या (ग) एक कार्य की लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।</p>
1.3	<p>करार के शर्तों को प्रस्तुत करना: बैंक से कोटेशन की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता चौदह दिनों के भीतर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। करार के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टांप पेपर की लागत सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। यह समझौता एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध होगा जिसे संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के अधीन दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। करार के लेख का प्रारूप अनुलग्नक -1 में प्रदान किया गया है।</p>
1.4	<p>ईएमडी जमा करना: यदि बोलीदाता निर्दिष्ट समय में ईएमडी जमा करने में विफल रहता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। ऐसी निविदा जिस पर ऐसे ईएमडी के साथ नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। जमा किए गए ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को नियत समय में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।</p>
1.5	<p>अनुबंध राशि का नवीनीकरण: संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के अधीन अनुबंध की राशि 2 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत की जाएगी। दस्तावेज़ की खंड II के पैरा 2.3 में दिए गए वृद्धि फॉर्मूले के अनुसार अनुबंध राशि को संशोधित किया जाएगा।</p>
1.6	<p>कोटेशन की वैधता: कोटेशन कोटेशन के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए मान्य होगा।</p>
1.7	<p>उद्धृत दरें निश्चित होंगी और इसमें जीएसटी, शुल्क, लेवी के लिए शुल्क, उपभोग्य वस्तुएं, श्रम, परिवहन, न्यूनतम मजदूरी, सामग्री के अनुसार कर्मचारी को भुगतान आदि शामिल होंगे।</p>

1.8	<p>बैंक गारंटी: सफल बोलीदाता 15 महीने की वैधता के लिए अनुबंध मूल्य के 5% की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा और उसके बाद इसे 2 साल की अवधि के लिए सीएएमसी अनुबंध की शर्त को पूरा करने के लिए वार्षिक रूप से बढ़ाया जाएगा, अनुलग्नक-11 के अनुसार सेवा प्रदान करने के दायित्व के रूप में। बैंक गारंटी कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है, तो बिल राशि से बैंक दर पर दंडात्मक शुल्क काट लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता अनुबंध के अनुसार सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक गारंटी का उपयोग किया जाएगा।</p> <p>सफल निविदाकर्ता का ईएमडी निविदा की स्वीकृति और बैंक गारंटी के प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा ।</p>
1.9	<p><u>सेवा सेटअप:</u> बोलीदाता पुणे में उपलब्ध सेवा सुविधा विवरण का भी उल्लेख होगा जैसे तकनीकी सेटअप, टेलीफोन नंबर और पुणे में उनके सेवा केंद्र का पता।</p>
1.10	<p>बैंक किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।</p>
1.11	<p><u>डिफॉल्ट के लिए समाप्ति:</u></p> <p>(ए) बैंक अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना, बोलीदाता को भेजे गए डिफॉल्ट की सात दिन (07) दिनों की लिखित सूचना देकर और बोलीदाता की विफलता और डिफॉल्ट को ठीक करने के लिए किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करने और/या निष्पादित करने की उपेक्षा पर, इस अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> १. यदि बोलीदाता समय के भीतर किसी भी या सभी वस्तुओं/कार्यों को वितरित करने में विफल रहता है २. अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि; या ३. यदि बोलीदाता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) को पूरा करने में विफल रहता है। <p>(ख) चूक के लिए ठेका समाप्त होने पर, ठेका को काली सूची में डालने के लिए कार्रवाई की जाएगी।</p>

1.12	<p><u>गैर-प्रकटीकरण खंड:</u> ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी का खुलासा नहीं करेगा बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों की जानकारी, सामग्री और विवरण</p> <p>(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकती है।</p> <p>इस करार के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष के लिए अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान और हर समय इसे अत्यधिक विश्वास में रखना होगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी समाधान करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतोषप्रद हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।</p>
1.13	<p>ठेकेदार भी कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोक्ता के खिलाफ किसी भी चीज के संबंध में किए जा सकते हैं जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वयं के खर्च पर होगा, अनुबंध के आभासी समापन तक प्रभाव और बनाए रखें, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ नियोक्ता और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) के संयुक्त नाम में बीमा की एक पॉलिसी ऐसे जोखिमों के खिलाफ और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करें।</p> <p>पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना या घटना के लिए ₹2 लाख और प्रति दुर्घटना या घटना संपत्ति के नुकसान के संबंध में ₹5 लाख होगी। ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ भी क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या लागू किसी अन्य क़ानून के तहत, इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून में हो और अपने स्वयं के खर्च पर होगा और आभासी समापन या एक के साथ अनुबंध तक बनाए रखेगा</p>

	<p>नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी, ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा की एक नीति और इस अनुबंध के चालू रहने के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करें।</p> <p>जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, बीमा करने वाले ठेकेदार के डिफ़ॉल्ट में, नियोक्ता बीमा कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है। ठेकेदार नियोक्ता को कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।</p>
1.14	<p>इस तरह के डिफ़ॉल्ट के संबंध में ठेकेदारों के खिलाफ नियोक्ता के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी रकम से नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजा लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं।</p> <p>ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या वस्तुओं के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा। ठेकेदार, क्षति के बाद पुनः निर्माण या बहाली के मामले में पूरा करने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक उचित समझे, लेकिन हालांकि, नियोक्ता द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।</p>
1.15	<p>ठेकेदार द्वारा बिल जमा करने के 45 दिनों के बाद रनिंग अकाउंट बिलों के भुगतान में देरी के मामले में, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल सही पाया गया हो, निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तारीख से ठेकेदार को @ 3% प्रति वर्ष एक साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।</p>

1.16	<p>ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रों/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।</p> <p>ठेकेदार को वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972, स्टाम्प अधिनियम 1899, ईपीएफ अधिनियम 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। और सभी लागू वैधानिक नियम/दिशानिर्देश। किसी भी वैधानिक मानदंडों/आवश्यकताओं द्वारा जारी किए गए नोटिस/जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।</p>
1.17	<p>ठेकेदार/एजेंसी "यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 "के प्रावधानों का पालन करेगी।</p> <p>बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>(i)किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत</p> <p>बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा</p>
1.18	<p>इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को पुणे में उत्पन्न माना जाएगा और केवल पुणे की अदालतों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।</p>

दिनांक और स्थान:

फर्म के हस्ताक्षर
(प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा)

फर्म का पता और मोबाइल नंबर:

खंड II: अनुबंध की विशेष शर्त

2.1 बोली का मूल्यांकन: बोली लगाने वाले में सबसे कम बोली लगाने वाले को L1 बोलीदाता माना जाएगा।

2.2

भुगतान की शर्त: संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के बाद तकनीकी अधिकारी से बिल के प्रमाणन पर प्रत्येक तिमाही के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम की खंड 15 के संदर्भ में स्वीकृति या स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों के भीतर अनुबंध राशि का 25% भुगतान किया जाएगा। हालांकि, राशि का भुगतान उन एसी की वास्तविक संख्या के अनुसार किया जाएगा जिनके लिए बोलीदाता द्वारा सीएमसी किया गया था।

2.3

सीएमसी राशि में वृद्धि:

व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएमसी): बोलीदाता एक वर्ष के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण सेवा के लिए भाग-2 में प्रभार उद्धृत करेंगे। सीएमसी के लिए दरें एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाएंगी और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर तिमाही आधार पर राशि का भुगतान किया जाएगा। सीएमसी को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के अध्यक्षीन, वार्षिक आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। सीएमसी राशि में वृद्धि की गणना नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$\text{एसी} = \text{एपी} + \text{एपी} [(0.3 \times (\text{ईपीआईसी} - \text{ईपीआईपी})/\text{एपिप} + 0.7 \times (\text{सीपीआईसी} - \text{सीपीआईपी})/\text{सीपीआईपी}]$$

एसी : चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि (करों को छोड़कर)

एपी : पिछले वर्ष (स्थापना का वर्ष) के लिए अनुबंध राशि (करों को छोड़कर)

ईपीआईसी : एयर कंडीशनर आइटम के लिए थोक मूल्य सूचकांक 6 महीने पहले चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तारीख।

ईपीआईपी : एयर कंडीशनर आइटम के लिए थोक मूल्य सूचकांक 6 महीने पहले पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तारीख (का वर्ष) स्थापना)।

सीपीआईसी : औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) 6 वर्तमान के लिए अनुबंध की प्रारंभ तारीख से महीनों पहले सालों।

सीपीआईपी : औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) 6 पिछले के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से पहले के महीने वर्ष (स्थापना का वर्ष)।

दिनांक:

स्थान:

फर्म के हस्ताक्षर

(प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा)

खंड III: कार्य-वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) का दायरा

3.1 सीएएमसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

- I. त्रैमासिक सेवा जिसमें इनडोर यूनिट के फिल्टरों की सफाई, भौतिक सफाई, रेफ्रिजरेट टॉपिंग, प्रदर्शन की जांच, बाहरी इकाई की सफाई और रिमोट का कामकाज शामिल है। उचित रिपोर्ट की सेवा के बाद बैंक इंजीनियर से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
- II. जब भी आवश्यक हो, एसी इकाइयों की मरम्मत, जिसमें बैंक पर किसी भी लागत के निहितार्थ के बिना, सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेट टॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक भागों को बदलना शामिल है। जले हुए कम्प्रेसर के मामले में निर्माता से प्रतिस्थापन लिया जा सकता है। हालांकि, यदि निर्माता से देरी या इनकार किया जाता है या कंप्रेसर वारंटी समाप्त हो जाती है, तो इसे ठेकेदार द्वारा निःशुल्क बदलना होगा। फर्मों को सलाह दी जाती है कि वे एसी की स्थिति देखने के लिए साइट पर जाएं।
- रखरखाव सेवाओं में सीएबी परिसर और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित एयर कंडीशनर का व्यापक रखरखाव शामिल होगा। श्रम और सामग्री शुल्क को रखरखाव अनुबंध के दायरे में शामिल किया जाएगा।
- ठेकेदार प्रशिक्षित तकनीशियनों और पर्यवेक्षकों को सीधे उनके द्वारा नियोजित करेगा और बैंक के अधिकारियों द्वारा काम की निगरानी की जाएगी।
- सभी आवश्यक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अपशिष्ट कपास, तेल, ग्रीस, कॉपर पाइपिंग, इन्सुलेशन, पीसीबी, स्पेयर पार्ट्स और अनुमोदित रेफ्रिजरेट गैस आदि (आवश्यकता के अनुसार) को मापने वाले ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के भीतर आपूर्ति की जाएगी।
- ठेकेदार सभी उपकरणों/मशीन को साफ-सुथरा और प्रभावी कार्य स्थितियों में रखेगा।
- सर्विसिंग के समय, यदि उपकरण/मशीनों में कोई दोष या कमी पाई जाती है, तो इसे तुरंत ड्यूटी पर बैंक के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- एएमसी शुल्क में सर्विसिंग शुल्क और सभी प्रकार के दोषपूर्ण भागों (उपभोग्य और गैर-उपभोग्य सामग्रियों दोनों) को मुफ्त में बदलना शामिल है। यदि आवश्यक हो तो गैस चार्जिंग के साथ-साथ गैस रिसाव परीक्षण विक्रेता द्वारा निःशुल्क किया जाना चाहिए।
- सभी एसी इकाइयों को समय-समय पर एक वर्ष में 4 बार (त्रैमासिक आधार) की सेवा दी जाएगी।

3.2 आवधिक सर्विसिंग में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- मोटर बुशिंग/असर की जांच करना, जब भी आवश्यक हो मोटर बीयरिंग को बदलना।
- अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यक पुर्जों, पंखे की मोटरों, पंखे के ब्लेड, कंडेनसर कॉइल, रेफ्रिजरेट, कैपेसिटर, नाली पाइप, इन्सुलेशन सामग्री, तांबे के पाइप, पीवीसी घटकों, उपभोग्य सामग्रियों और बिजली के हिस्सों के साथ समय-समय पर सर्विसिंग को कवर करता है।
- पीसीबी इनडोर एंड और ओडीयू अंत में मुख्य प्लग पर कनेक्शन की जांच करना।
- ब्लोअर, कंडेनसर, पंखे, एयर फिल्टर बाष्पीकरणकर्ता, उपकरणों के कंडेनसर कॉइल की जांच।
- कंडेनसर कॉइल और बाष्पीकरणकर्ता कॉइल पानी गर्मियों से पहले प्रेशर पंप से धोएं।
- शीतलन दक्षता की जांच।
- नियमित अंतराल पर इकाइयों की सूखी और गीली सफाई।
- एयर फिल्टर, ब्लोअर, कंडेनसर पंखे, बाष्पीकरणकर्ता, कंडेनसर कॉइल और अन्य उपकरणों की सफाई और धुलाई। पानी की सफाई/गीली सर्विसिंग एक तिमाही में एक बार या जब भी आवश्यक हो, यदि बहुत गंदी/धूल जमा पाई जाती है।
- मोटर असेंबली की जांच और चिकनाई।
- सेवाओं के लिए आवश्यक सभी उपकरण और मचान ठेकेदार द्वारा लाए जाएंगे।

- इकाइयों या उसके पुर्जों के सभी दोषपूर्ण हिस्सों की मरम्मत और प्रतिस्थापन निःशुल्क इकाइयों की मरम्मत और प्रतिस्थापन करना।
- असर विफलता के कारण असामान्य शोर की जांच, मोटर का तेल लुगाना आदि।
- सेवा अनुबंध के दौरान आवश्यकता पड़ने पर रेफ्रिजरेट गैस का टॉपअप। सभी बिजली के पुर्जों की जांच की जाएगी और सभी बिजली के पुर्जों को मुफ्त में बदलने सहित बिजली के कनेक्शन को कड़ा किया जाएगा।
- व्यापक एएमसी में विशेषज्ञ तकनीशियनों, सहायकों को जब कभी भी आवश्यक हो, सभी क्षेत्रों में एक तिमाही में एक बार आवधिक सेवा के लिए आवश्यक उपभोज्य सामग्री, उपकरण और पुर्जों की प्रतिनियुक्ति शामिल है (ब्रेकडाउन/दोषपूर्ण के दौरान) जैसा कि कार्य के दायरे में दिया गया है। इन दरों में कंप्रेसर, पंपों की मोटर, ब्लेड, गैस टू अप, स्विंग मोटर, ब्लोअर, रेफ्रिजरेट, बुश एंड बियरिंग्स, गास्केट, प्लास्टिक पार्ट्स सहित सभी स्पेयर पार्ट्स, सहायक उपकरण, खराब पार्ट्स और रिमोट कंट्रोल, सफाई, धुलाई, स्नेहन सहित स्लिट, विंडो, टावर और कैसेट जैसी एयर कंडीशनिंग मशीनों के अन्य सभी पुर्जे शामिल होंगे। फिल्टर, फिल्टरों का प्रतिस्थापन, आवश्यक हार्डवेयर, परिवहन प्रभार, विभिन्न स्थानों तक पहुंचने के लिए वाहन प्रभार आदि, या एसी के अच्छी तरह से कार्य/कार्य करने के लिए आवश्यक कोई अन्य भाग/सामग्री।
- एयर कंडीशनिंग प्रणालियों को प्रचालनात्मक स्थिति में बनाए रखने के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी प्राकृतिक आपदाओं, सार्वजनिक शत्रु या सरकारी प्राधिकरण, सुविधाओं की जलती, युद्ध या धमकी वाले युद्ध, शत्रुता, विद्रोह या आग, बाढ़, भूकंप, विस्फोट, दुर्घटना, दंगा, बंद के कारण सामान्य स्थानीय परिवहन के पंगु होने जैसी किसी भी घटना के उचित नियंत्रण से परे न होने के अधीन है। कर्षण हड़ताल।
- ठेकेदार सामान्य कार्य घंटों के दौरान रिपोर्ट की गई नियमित सेवा के अलावा चार (04) घंटों के भीतर और अधिकतम 24 घंटे के भीतर ब्रेकडाउन कॉल में भाग लेगा। कंप्रेसर की मरम्मत/प्रतिस्थापन, गैस फिलिंग चार्जिंग आदि जैसी प्रमुख मरम्मत को अधिकतम 48 घंटों के भीतर (बैंक के इंजीनियर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद) पूरा करना होगा
- यदि ठेकेदार ब्रेकडाउन सेवा में भाग नहीं लेता है और मामूली कार्यों के लिए 24 घंटे और बड़े कार्यों के लिए 48 घंटे की अवधि के भीतर इकाई को कार्य करने की स्थिति में शिकायत दर्ज करने की तारीख से ऐसा मरम्मत/प्रतिस्थापन बैंक द्वारा बाहरी बोलीदाताओं के माध्यम से किया जाएगा और इस प्रकार किए गए व्यय को एएमसी राशि से काट लिया जाएगा और प्रति मशीन देरी के लिए प्रति दिन ₹500/- का जुर्माना अधिकतम ₹5000/- प्रति इंस्टेंस तक लिया जाएगा।

3.3 भारतीय रिज़र्व बैंक फर्म के कर्मचारी/श्रमिकों द्वारा कार्य के निष्पादन के दौरान हुई किसी भी दायित्व/शरारत/दुर्घटना को स्वीकार नहीं करता है। फर्म को सलाह दी जाती है कि वह अपने कर्मचारी का आवश्यक बीमा (वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी) ले ले।

3.4 ठेकेदार प्रत्येक इकाई के सभी दबाव और विद्युत रीडिंग के साथ-साथ की गई सभी कार्रवाइयों के विवरण के साथ बैंक के कार्यालय में यात्रा/सेवा रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।

3.5 सभी सर्विसिंग साइट की उपलब्धता के अधीन बैंक के अधिकारियों के परामर्श से की जाएगी। हालांकि, बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायतों (चाहे फोन पर या लिखित / ईमेल में) को जल्द से जल्द और किसी भी मामले में एक कार्य दिवस के बाद नहीं देखने के लिए ठेकेदार द्वारा सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। आपातकालीन कॉल को प्राथमिकता के आधार पर अटेंड किया जाना चाहिए।

3.6 निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें एसी टन भार दर के अनुसार हैं और भविष्य में नए एसी जोड़ने के मामले में, निविदाकर्ता को बीओक्यू की संबंधित मदों के अनुसार उसी दर पर नए जोड़े गए एसी को एएमसी प्रदान करना होगा। यदि एसी हटा दिया जाता है या अप्रचलित हो जाता है, तो एसी की संबंधित संख्या को एसी सेवा सूची से तदनुसार काटा जाना चाहिए।

3.7 चालान बैंक के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित सेवा रिपोर्ट के साथ बैंक द्वारा अपेक्षित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भुगतान केवल तिमाही (3 महीने) में सर्विसिंग किए गए एसी की संख्या के आधार पर किया जाएगा और कर्मचारियों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन के अधीन नहीं होगा।

3.8 दरों को उद्धृत करने से पहले निविदाकार को साइट का निरीक्षण करना चाहिए और काम, काम करने की स्थिति, प्रतिबंध, यदि कोई हो, आदि से परिचित होना चाहिए।

3.9 ठेकेदार को अपने सेवा तकनीशियन को सर्विसिंग के लिए आवश्यक सभी सामान जैसे उपकरण, उपकरण, सफाई सामग्री, स्क्रबर, कपड़े और स्पेयर पार्ट प्रदान करना होगा जो बदलने के लिए आवश्यक है। यह कार्य बैंक के निवासियों/कर्मचारियों को कम से कम परेशानी के साथ किया जाना चाहिए। संबंधित निर्माताओं द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न निर्माताओं / निर्माताओं के एसी के लिए सर्विसिंग की आवश्यकता होती है।

नोट:

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे मूल्य बोली (भाग-II) में दरों को उद्धृत करने से पहले साइट (अर्थात् बैंक और स्टाफ क्वार्टर) का दौरा करें और कोटेशन भाग-I में उल्लिखित शर्तों और कार्य के विस्तृत दायरे से परिचित हों

एसी का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या।	या किस्म	मात्रा।	इकाई
1	स्प्लिट, कैसेट और टॉवर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए व्यापक रखरखाव सेवा (निविदा के भाग I के अनुसार) त्रैमासिक सर्विसिंग और जब भी आवश्यकता/आवश्यक हो। (टूटने के दौरान/दोषपूर्ण होने के दौरान)। सेवा अनुबंध दर में यात्रा लागत आदि सहित सभी सामग्री और श्रम, बीमा की लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा। उद्धृत दरों में सभी करों/शुल्कों आदि (जीएसटी सहित) शामिल होंगे।		
a)	1.0 टीआर हाई वॉल स्प्लिट एसी यूनिट (मेक: डाइकिन/पैनासोनिक/तोशिबा/कूज/कैरियर/)	12	सं.
b)	1.5 टीआर हाई वॉल स्प्लिट एसी यूनिट (मेक: पैनासोनिक/ब्लूस्टार)	43	सं.
c)	2 टीआर हाई वॉल स्प्लिट एसी यूनिट (मेक: पैनासोनिक/डाइकिन)	11	सं.
d)	13 टन भार (16 एचपी) आउटडोर यूनिट की वीआरवी प्रणाली जो छह टन भार की इनडोर इकाइयों को समर्थन देगी। स्प्लिट एसी की संख्या (1 टीआर के दो और 2 टीआर के चार नंबर) और 2 नंबर के एसी (1 टीआर के दो नंबर) और 2 नंबर के एसी (1 टीआर के दो नंबर) और 2 नंबर के एसी की संख्या 1 है। कैसेट एसी की संख्या (1.6 टीआर के दो नंबर)	2	सं.

3.10 इस अनुबंध में वायु के प्लास्टिक बॉडी को छोड़कर सभी सामग्री/घटक शामिल हैं कंडीशनर। रेफ्रिजरेंट गैस भरना कोटेशन का हिस्सा होगा।

3.11 अनुबंध में भुगतान सर्विसिंग शामिल है। एसी सेवा रिपोर्ट होनी चाहिए त्रैमासिक बिल के साथ संलग्न।

- 3.12 आवश्यक उपकरण और परीक्षण उपकरण जैसे टोंग टेस्टर /मल्टी मीटर, इन्सुलेशन टेप, आवश्यक रिंच/गोटी/पन्ना/कटर/ड्रिल मशीन, प्लायर, कटर स्कू ड्राइवर, स्पेनर सेट ब्लोर, ड्रिल मशीन, मेगर, अर्थ टेस्टर, हैंड ग्लोब पाइप रिंच ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। ठेकेदार को दिन-प्रतिदिन के रखरखाव कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकसीढ़ी और अन्य आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
- 3.13 ठेकेदार सभी परिवहन और पैकेजिंग टॉली की व्यवस्था करेगा
वैल्विंग सेट, चार्जिंग किट आदि अपने स्वयं के स्रोतों से और इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

फर्म के हस्ताक्षर

दिनांक:

(प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा

स्थान:

खंड IV

फर्म का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है
1.	फर्म का मालिक	
2.	पैन विवरण साथ में संबंधित दस्तावेज़	
3.	जीएसटी विवरण साथ में संबंधित दस्तावेज़	
4.	फर्म का पता	
5.	टेलीफोन	
	ईमेल	

बैंकों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या।	विवरण (क्रॉस कैंसल चेक जमा करें)	बोलीदाता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	खाते का प्रकार	
4	खाता संख्या	
5	आईएफएससी कोड	
6	टेलीफोन और फैंक्स नंबर	
7	संपर्क व्यक्ति का नाम	

फर्म के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

(प्राधिकरण/पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा)

अनुलग्नक I

करार के लेखों के लिए प्रारूप (₹500 के स्टाम्प पेपर पर) **(केवल सफल बोलीदाता के लिए)**

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे (इसके बाद "नियोक्ता" कहा जाएगा) के एक भाग के और _____ (इसके बाद "बोलीदाता" कहा जाएगा) जबकि नियोक्ता -----के लिए इच्छुक है और ---- कोटेशन के अनुसार के बीच _____ के _____ दिन को किए गए करार की शर्तें।

और जबकि बोलीदाता यहां निर्धारित शर्तों और अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के लिए विषय कार्य को निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जैसा कि संशोधित और अंत में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है) बैंक की उक्त आवश्यकता पर दिखाए गए कार्य और/या वर्णित हैं उक्त विनिर्देशों में और उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर मात्रा की अनुसूची में शामिल किया गया है, जो उस राशि के रूप में प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि है जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" के रूप में संदर्भित)।

अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है (कार्य का दायरा) -

इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को केवल _____ और _____ में केवल अदालतों में उत्पन्न हुआ माना जाएगा, इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

इस अनुबंध के कई भागों को बोलीदाता द्वारा पढ़ा गया है और बोलीदाता द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

यदि बोलीदाता एक साझेदारी है या एक व्यक्ति	इसके साक्ष्य स्वरूप नियोक्ता ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और बोलीदाता ने पूर्वोल्लिखित इन दस्तावेजों और इसकी उक्त दो डुप्लिकेट पर अपनी सामान्य मुहर लगाकर अपने हस्ताक्षर किए / की ओर से इन दस्तावेजों और उक्त दो डुप्लिकेट पर पूर्वोल्लिखित वर्ष और तारीख को इसे निष्पादित किया गया।
---	---

यदि बोलीदाता एक कंपनी है	इसके साक्ष्य स्वरूप नियोक्ता ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और बोलीदाता ने पूर्वोल्लिखित इन दस्तावेजों और इसकी उक्त दो डुप्लिकेट पर अपनी सामान्य मुहर लगाकर अपने हस्ताक्षर किए / की ओर से इन दस्तावेजों और उक्त दो डुप्लिकेट पर पूर्वोल्लिखित वर्ष और तारीख को इसे निष्पादित किया गया।
--------------------------	---

हस्ताक्षर खंड:

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया।

(नाम और पदनाम) की उपस्थिति में:

गवाह:

1. _____:

2.

पता:

यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म या व्यक्ति है:

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में:

गवाह:

1. _____

पता:

2.

पता:

अनुलग्नक-II

प्रतिभूति जमा राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

स्थान: _____
तारीख: _____

प्रधानाचार्य
भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि बैंकिंग
महाविद्यालय,
यूनिवर्सिटी रोड,
पुणे-411016

प्रिय महोदय,

महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में स्थापित एयर कंडीशनर के लिए वार्षिक व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध

कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा राशि के लिए बैंक गारंटी

जबकि कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, (इसके बाद "आरबीआई" कहा जाता है) ने मैसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद "ठेकेदार का नाम" कहा जाएगा) को उपयुक्त उल्लिखित परियोजना (इसके बाद "अनुबंध" कहा जाता है) के लिए अनुबंध प्रदान किया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल होंगे। और जबकि हम जानते हैं कि रिजर्व के बीच एक समझौता किया गया है बैंक ऑफ इंडिया और ठेकेदार और उक्त करार के खंड के अनुसार ठेकेदार उक्त संविदा से भारतीय रिजर्व बैंक को एक निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है कुल धनराशि ₹ _____ (रुपए _____ मात्र) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उक्त ठेकेदार द्वारा देय पूर्ति के लिए। हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), मैसर्स _____ ठेकेदार के अनुरोध पर, इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान करने का वचन देते हैं। देय राशि के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में _____ रुपये से अधिक नहीं अनुबंध के नियमों और शर्तों को पूरा करना।

अब यह गारंटी साक्षी है

1. हम (बैंक का नाम) एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से सहमत हैं और वचन देते हैं, यह असाइन करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; भारतीय रिजर्व बैंक की मांग पर हम भारतीय रिजर्व बैंक को बिना किसी देरी के भुगतान करेंगे।

रु. _____ (केवल रुपए) या कोई भी कम राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगी जा सकती है। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित कार्य निष्पादन के लिए निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता की राशि से अधिक नहीं होगी

रु. _____ (केवल रुपये)।

2. हम यह भी स्वीकार करने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि अधिक नहीं है

रु. _____ (केवल रुपए) जैसा कि पूर्वोक्त है, हमारे द्वारा बिना किसी विलंब या विरोध के भुगतान किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक से मांग किए जाने पर कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और प्रमाण या साक्ष्य नहीं मांगेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और

हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ की गई। बैंक किसी भी न्यायालय, अधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी वाद या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच करार या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. इस गारंटी को आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा। हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को किसी भी समय प्रदान करने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले को दर्शाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन से और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा अधिक नहीं की गई राशि का भुगतान करके दी जाएगी

रु. (केवल रुपये)।

ख) इन विलेखों के तहत हमारी देयता -----रुपये (केवल रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

ग) इस करार के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

घ) यह गारंटी जारी होने की तारीख से 15 महीने तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाए, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है।

ई) इन विलेखों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन विलेखों को यहां प्रदान किए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके गवाह में बैंक के मैने/हमने इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस गारंटी को सील कर दिया है ----- दिन (----- (माह) (वर्ष) को इसके साथ विधिवत प्राधिकृत किया जा रहा है।

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर _____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से नाम:

पदनाम :

बैंक की स्टाम्प/मुहर

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह 1

दस्तखत

नाम -----

पता

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुलग्नक III

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पुणे की कैब परिसर और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित एयर कंडीशनर की विस्तृत सूची

आरबीआई सीएबी पुणे में स्प्लिट, कैसेट, डक्टेबल, पैकेज एसी का विवरण					
क्रम संख्या	स्थान	टीआर	बनाना	प्रकार	नहीं
1.	एफएम केबिन 1	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
2.	प्रधानाचार्य केबिन	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
3.	कार्यपालक केबिन	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
4.	सतलुज एवी रूम	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
5.	सतलुज एवी रूम	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
6.	सतलुज एवी रूम	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
7.	सतलुज एवी रूम	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
8.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
9.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
10.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
11.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
12.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
13.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
14.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
15.	पुस्तकालय	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
16.	चिनाब बाहर	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
17.	चिनाब बाहर	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
18.	चिनाब बाहर	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
19.	चिनाब बाहर	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
20.	नंदिनी कक्षा	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
21.	नंदिनी कक्षा	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
22.	नंदिनी कक्षा	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
23.	नंदिनी कक्षा	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
24.	गवर्नर केबिन	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
25.	गवर्नर केबिन	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
26.	प्रमुख बंगला	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
27.	गवर्नर सूट	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
28.	गवर्नर सूट	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
29.	डाइनिंग हॉल ए	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
30.	डाइनिंग हॉल बी	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
31.	वीओएफ बी-1	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
32.	वीओएफ बी-2	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
33.	वीआईपी सुइट -2	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
34.	वीआईपी सुइट -3	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1

35.	वीओएफ बी-4	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
36.	एचआरएमडी	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
37.	एचआरएमडी	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
38.	वीपी केबिन	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
39.	सीआरडीसी	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
40.	सीआरडीसी	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
41.	सीआरडीसी	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
42.	सीआरडीसी	1.5	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
43.	1 मंजिल सर्वर रूम	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
44.	वीसैट कक्ष	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
45.	वीसैट कक्ष	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
46.	वीसैट कक्ष	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
47.	वीसैट कक्ष	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
48.	इंद्रायणी 105	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
49.	इंद्रायणी 110	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
50.	इंद्रायणी 115	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
51.	इंद्रायणी 124	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
52.	टेलीफोन एक्सचेंज	2	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
53.	गोदावरी -10	1	पैनासोनिक	स्प्लिट	1
54.	गोदावरी नेट कैफे	1.5	ब्लूस्टार	स्प्लिट	1
55.	13 टन भार (16 एचपी) आउटडोर यूनिट की वीआरवी प्रणाली जो छह टन भार की इनडोर इकाइयों को समर्थन देगी। स्प्लिट एसी की संख्या (1 टीआर के दो और 2 टीआर के चार नंबर) और 2 नंबर के एसी (1 टीआर के दो नंबर) और 2 नंबर के एसी (1 टीआर के दो नंबर) और 2 नंबर के एसी की संख्या 1 है। कैसेट एसी की संख्या (1.6 टीआर के दो नंबर) आरबीआई अभिलेखागार	13	मित्सुबिशी	वीआरवी	2
56.	रजनीगंधा टीएचएच	1	कैरियर/डाइकिन	स्प्लिट	6
57.	एफएम केबिन 13, 15	1	तोशिबा	स्प्लिट	2
58.	आई 221, आई 225, आई107	1	तोशिबा/कूज	स्प्लिट	3
59.	प्रधानाचार्य बंगला	2	डाइकिन	स्प्लिट	1

अनुसूची ए

सुरक्षा कोड

1. निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
2. घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से या 8 फीट की ऊंचाई से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को 1.5मीटर या खाई की गहराई का आधा जो भी अधिक हो के भीतर नहीं रखा जाएगा। खाई के किनारे के सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
6. किसी भवन के तल में या कार्य मंच में प्रत्येक ओपनिंग को बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएं जिनकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. (i) पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर लेड या लेड उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए जब पेंट को स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है।
11. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले चित्रकारों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

12. कार्यों में उपयोग की जाने वाली होस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को फहराने या कम करने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।
14. अलग-अलग ऊंचाई पर काम करने के लिए मचान पर काम करते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाएगा।
15. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं, या ठोस निर्माण से इस तरह की छोटी अवधि के काम को छोड़कर जो सीढ़ी से सुरक्षित रूप से किए जा सकते हैं। जब एक सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा और यदि सीढ़ी का उपयोग सामग्री ले जाने के लिए किया जाता है तो सीढ़ी पर उपयुक्त पैर और हैंडहोल्ड प्रदान किए जाएंगे और सीढ़ी को 1/4 से 1 (1/4 क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वाधर) से अधिक तीव्र झुकाव नहीं दिया जाएगा।
16. जमीन या फर्श से 3.6 मीटर (12 फीट) से अधिक ऊपर मंचन के मचान, एक ओवरहेड समर्थन से स्विंग या निलंबित या स्थिर समर्थन के साथ खड़ा एक गार्ड रेल ठीक से संलग्न या बोल्ट, ब्रेस्ट और अन्यथा सुरक्षित होना चाहिए कम से कम 90 सेमी (3 फीट) इस तरह के मचान या मंचन के फर्श या मंच से ऊपर और बाहर की पूरी लंबाई के साथ विस्तारित और उसके अंत के साथ केवल ऐसे ओपनिंग के साथ जो आवश्यक हो सकते हैं सामग्री की डिलीवरी। इस तरह के मचान या मंचन को इतना बांधा जाना चाहिए कि इसे इमारत या संरचना से हिलने से रोका जा सके।
17. वर्किंग प्लेटफार्म, गैंगवे और सीढ़ियों का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि वे अनावश्यक रूप से या असमान रूप से शिथिल न हों, और यदि प्लेटफॉर्म या गैंगवे या सीढ़ी की ऊंचाई जमीनी स्तर या फर्श के स्तर से 3.6 मीटर (12 फीट) से अधिक है, तो उन्हें बारीकी से बोर्ड किया जाना चाहिए, पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और ऊपर (2) में वर्णित के रूप में उपयुक्त रूप से बांधा जाना चाहिए।
18. किसी भवन के फर्श में या कार्य मंच में प्रत्येक ओपनिंग को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्ति या सामग्री के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 90 सेमी (3 फीट) होगी।
19. सभी कार्य प्लेटफार्मों और अन्य कार्य स्थलों तक पहुंच के सुरक्षित साधन प्रदान किए जाएंगे। हर सीढ़ी को सुरक्षित रूप से तय किया जाएगा। कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 9 मीटर (30 फीट) से अधिक लंबाई की नहीं होनी चाहिए, जबकि सीढ़ी में साइड रेल के बीच की चौड़ाई किसी भी स्थिति में 3 मीटर (10 फीट) तक की सीढ़ी के लिए 29 सेमी (11 ½") से कम नहीं होनी चाहिए। लंबी सीढ़ी के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त 1 सेमी (1 फुट) लंबाई के लिए इस चौड़ाई को कम से कम 4/30 "बढ़ाया जाना चाहिए। 30 सेमी से अधिक की समान चरण दूरी नहीं रखी जाएगी। बिजली के उपकरणों से खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। किसी भी साइट या कार्य पर किसी भी सामग्री को इतना ढेर या रखा नहीं जाएगा कि किसी भी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा हो। ठेकेदार जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए सभी

आवश्यक बाड़ और रोशनी प्रदान करेगा और कानून में हर मुकदमे, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही के बचाव के खर्च को वहन करने के लिए बाध्य होगा जो उपरोक्त सावधानियों की उपेक्षा के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई चोट के लिए लाया जा सकता है और किसी भी नुकसान और लागत का भुगतान करने के लिए जो इस तरह के किसी भी मुकदमे में दिया जा सकता है; ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए कार्रवाई या कार्यवाही या जो ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दावे की भरपाई के लिए भुगतान किया जा सकता है।

20. मोटर, गियरिंग, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक वायरिंग और होस्टिंग उपकरणों के अन्य खतरनाक भागों को कुशल सुरक्षा उपायों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। होस्टिंग उपकरणों को ऐसे साधनों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए जो भार के आकस्मिक वंश के जोखिम को कम से कम कर दें। निलंबित भार के किसी भी हिस्से के गलती से विस्थापित होने के जोखिम को कम से कम करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। जब श्रमिकों को विद्युत प्रतिष्ठानों पर नियोजित किया जाता है जो पहले से ही सक्रिय हैं, तो इन्सुलेट मैट, परिधान पहने हुए, जैसे कि दस्ताने, आस्तीन और जूते, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यकर्ता को कोई अंगूठी, घड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए और चाबी या अन्य सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं।
21. यहां उल्लिखित या वर्णित सभी मचान, सीढ़ी और अन्य सुरक्षा उपकरणों को सुरक्षित स्थिति में बनाए रखा जाएगा और उपयोग के दौरान कोई मचान, सीढ़ी या उपकरण नहीं बदला या हटाया जाएगा। काम के स्थानों पर या उसके आस-पास पर्याप्त धुलाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
22. इन सुरक्षा प्रावधानों को कार्य स्थल पर एक प्रमुख स्थान पर एक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ठेकेदार द्वारा उसमें नामित किया जाएगा। निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
23. सुरक्षा सावधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए, ठेकेदार द्वारा की गई व्यवस्थाएं श्रम अधिकारी या नियोक्ता के प्रभारी अभियंता या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली होंगी।

(1) से (28) तक उपर्युक्त खंडों के बावजूद, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ठेकेदार को देश में लागू किसी अन्य अधिनियम या नियम के संचालन से छूट देता हो।

अनुसूची बी
अग्नि सुरक्षा कोड

- i. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही रेटिंग वाले विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
 - ii. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
 - iii. उपयोग किए जाने वाले विद्युत बिजली केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से रेट किया जाना चाहिए।
 - iv. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थड किया जाएगा।
 - v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
 - vi. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
 - vii. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा।
 - viii. प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
 - ix. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि काम की आवश्यकता के आधार पर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
- सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 'से अधिक ऊंचाई से काम करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
 - xii. दोनों सीढ़ियों के दरवाजे सामान्य रूप से बंद रखे जाएंगे।
 - xiii. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य से बंद कर दी जाएगी।
- xv. कार्य से उत्पन्न लकड़ी-छीलन और आरी-धूल को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय समय से परे काम करते समय ठेकेदार द्वारा कामगारों को बैटरी संचालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च प्रदान की जाएगी।

स्थान और तारीख: निविदाकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर



भारतीय रिज़र्व बैंक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
यूनिवर्सिटी रोड
पुणे - 411016

के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)
महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं।

भाग-II/वित्तीय (मूल्य) बोली

जमा करने की अंतिम तारीख - 18 मार्च, 2026 को दोपहर 2:00 बजे तक

भाग I के खोलने की तारीख - 18 मार्च, 2026 को दोपहर 3:00 बजे

बोलीदाता का नाम: _____

मोबाइल नंबर: _____

पता: _____

कोटेशन पर हस्ताक्षर करने वाले कर्मि का नाम:

**भारतीय रिज़र्व बैंक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
भाग-II: वित्तीय बोली/मात्रा का बिल**

**महाविद्यालय परिसर और कॉलोनी में स्थापित एयर कंडीशनर के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध
(सीएएमसी)**

क्रम संख्या।	या क्रिस्म	मात्रा।	इकाई	दर/वर्ष/प्रति मशीन (जीएसटी सहित)	राशि (जीएसटी सहित)
1	एयर कंडीशनिंग प्रणाली के लिए व्यापक रखरखाव सेवा (निविदा के भाग I के अनुसार) त्रैमासिक सर्विसिंग और जब भी आवश्यकता/आवश्यक हो। (टूटने/दोषपूर्ण होने के दौरान). सेवा अनुबंध दर में यात्रा लागत आदि सहित सभी सामग्री और श्रम, बीमा की लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा। उद्धृत दरों में सभी करों/शुल्कों आदि (जीएसटी सहित) शामिल होंगे।				
a)	1.0 टीआर हाई वॉल स्प्लिट एसी यूनिट (मेक: डाइकिन/पैनासोनिक/तोशिबा/कूज/कैरियर/)	12	सं.		
b)	1.5 टीआर हाई वॉल स्प्लिट एसी यूनिट (मेक: पैनासोनिक/ब्लूस्टार)	43	सं.		
c)	2 टीआर हाई वॉल स्प्लिट एसी यूनिट (मेक: पैनासोनिक/डाइकिन)	11	सं.		
d)	13 टन भार (16 एचपी) आउटडोर यूनिट की वीआरवी प्रणाली जो छह टन भार की इनडोर इकाइयों को समर्थन देगी। स्प्लिट एसी की संख्या (1 टीआर के दो और 2 टीआर के चार नंबर) और 2 नंबर के एसी (1 टीआर के दो नंबर) और 2 नंबर के एसी (1 टीआर के दो नंबर) और 2 नंबर के एसी की संख्या 1 है। कैसेट एसी की संख्या (1.6 टीआर के दो नंबर)	2	सं.		
	₹ में निवल योग (जीएसटी सहित)				

नोट:

- सभी वस्तुओं के लिए दरें लागू जीएसटी, बीमा, वितरण, उपकरण, मजदूर, मचान, परिवहन शुल्क और लागू किसी भी सरकारी कर सहित होंगी।
- अंतिम एल1 बोलीदाता का निर्णय निविदा के मूल्यांकन में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मैनुअल रूप से अंकगणितीय जांच के बाद ही किया जाएगा।
- यदि ठेकेदार द्वारा कार्य में उत्पन्न मलबे को बैंक के परिसर से दूर नहीं हटाया जाता है, तो उसे बैंक द्वारा ठेकेदार के जोखिम और लागत पर हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, मलबे को हटाने के लिए किए गए वास्तविक व्यय की वसूली ठेकेदार के बिलों से की जाएगी। इस संबंध में दावों के किसी भी अनुरोध पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: अधिकृत के हस्ताक्षर

फर्म/कंपनी की ओर से व्यक्ति